न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 12/2024

अनवान : –

1. अनिल पुत्र मोहनलाल उर्फ भालाराम जाति कुम्हार निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

– सायल

बनाम्

1. वेद प्रकाश पुत्र विनोद कुमार जाति कुम्हार प्रजापति निवासी भूकरका तहसील नोहर।
2. दलीप पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
3. रामप्यारी पत्नी पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
4. सन्तलाल पुत्र पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
5. सिलोचना पुत्री पतराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
7. उप पंजीय नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायल**
3. श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 03/04/2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 500/516 के ख0न0 520/2 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 177/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 के व 59/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 3 के व 721/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के एवं 59/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 4 व 5 प्रत्येक के नाम एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 103/104 की कुल 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में सायल के पड़दादा नत्थुराम पुत्र कालुराम के नाम दर्ज थी। सायल के पड़दादा के देहान्त होने के बाद उक्त सायल के दादा मुंशीराम, कुरड़ाराम, आशाराम, सोहनलाल पुत्रगण नत्थुराम के नाम दर्ज हुई। सायल के दादा द्वारा सहमति से उक्त भूमि का विभाजन करवा लिया गया एवं ख0न0 520 की 21 बीघा 5 बिस्वा भूमि विभाजन के बाद सायल के दादा मुंशीराम को प्राप्त हुई एंव ख0न0 520 की 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि मुश्तरका दर्ज हुई जिसमें सायल के दादा मुशीराम [illegible] मौजा भूकरका तहसील नोहर के ख0न0 381/59 के ख0न0 520/2 की 5.37[illegible] व ख0न0 250/6 की 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि सायल [illegible] नाम दर्ज थी जिसे सायल व दावा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 18:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दर्ज प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 7 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 14 ता 15 का जन्मजात हक हिस्सा है।

दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि यानि की 140 हिस्सा भूमि जरिये बैयनामा गैरसायल संख्या 3 के पति व 4–5 के पिता पतराम व गैरसायल संख्या 2 को बेचान कर दी जो विधि विरूद्ध है व प्रतिवादी स0 1 ने ख0न0 520/2 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 721/1075 हिस्सा भूमि व ख0न0 520/6 की 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि को जरिये दानपत्र दिनांक 07.11.2023 को गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को उनके हक हिस्सा से महरूम कर दिया। गैरसायल स0 1 ता 5 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने से बेचान करने की फिराक में है एवं समस्त भूमि को फरोख्त करने की धमकी दे रहे है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायल संख्या 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 500/516 के ख0न0 520/2 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि व खाता स0 103/104 के ख0न0 520/6 की कुल 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरआरटी 2023 पेज न0 372 ता 375 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स0 2 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल के पिता द्वारा दिनांक 03.01.2001 को उक्त भूमि खरीद की है जिस पर गैरसायल काबिज है। संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 09.09.2005 को लागु हुआ है उक्त अधिनियम में यह प्रतिबन्ध है कि दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हुए बेचान, वसीयत व बंटवारा पर लागु नही होता है जबकि उक्त बैयनामा दिनांक 03.01.2001 का है एवं उक्त बैयनामा के आधार पर गैरसायल के नाम यह भूमि दर्ज है। बैयनामा खारिज करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है न की रेवेन्यू कोर्ट को। सायल द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है। अप्रार्थी स0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है एवं गैरसायल के नाम यह भूमि जरिये दानपत्र दर्ज हुई है सायल अप्रार्थी का नाम कलमजन करवा पाने का अधिकारी नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की दावा में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि यानि की 140 हिस्सा भूमि जरिये बैयनामा गैरसायल संख्या 3 के पति व 4–5 के पिता पतराम व गैरसायल संख्या 2 को बेचान कर दी जो विधि विरूद्ध है व प्रतिवादी स0 1 ने ख0न0 520/2 की 5.3750 हैक्ट भूमि में से 721/1075 हिस्सा भूमि व ख0न0 520/6 की 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि को जरिये दानपत्र दिनांक 07.11.2023 को गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 18:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स0 1 के नाम दर्ज करवा दी तथा सायल व प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को उनके हक हिस्सा से महरूम कर दिया। गैरसायल स0 1 ता 5 उक्त भूमि अपने नाम दर्ज होने से बेचान करने की फिराक में है एवं समस्त भूमि को फरोख्त करने की धमकी दे रहे है यदि गैरसायलान अपनी योजना में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलसंख्या 1 ता 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वे उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल न करे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया की गैरसायल के पिता द्वारा दिनांक 03.01.2001 को उक्त भूमि खरीद की है जिस पर गैरसायल काबिज है। संशोधित हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम सन 09.09.2005 को लागु हुआ है उक्त अधिनियम में यह प्रतिबन्ध है कि दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हुए बेचान, वसीयत व बंटवारा पर लागु नही होता है जबकि उक्त बैयनामा दिनांक 03.01.2001 का है एवं उक्त बैयनामा के आधार पर गैरसायल के नाम यह भूमि दर्ज है। बैयनामा खारिज करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है न की रेवेन्यू कोर्ट को। सायल द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

अप्रार्थी स0 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया की गैरसायल रिकार्डेड खातेदार है एवं गैरसायल के नाम यह भूमि जरिये दानपत्र दर्ज हुई है। दानपत्र व बैयनामा खारिज करने का अधिकारी सिविल न्यायालय हो प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो की खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का सम्मानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शी सिद्धान्तो के रूप में उपयोग में लिया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 500/516 के ख0न0 520/2 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि में से 177/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 2 के व 59/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 3 के व 721/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के एवं 59/1075 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 4 व 5 प्रत्येक के नाम एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 103/104 की कुल 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त वाद भूमि गैरसायलान के नाम जरिये बैयनामा/दानपत्र के दर्ज हुई है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजो यानि की नत्थुराम के नाम दर्ज थी। अप्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी उक्त बैयनामा/दानपत्र को खारिज करवाना चाहता है जबकि बैयनामा/दानपत्र को खारिज करने का अधिकारी सिविल न्यायालय को है जबकि प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 18:35:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कथन है कि प्रार्थी द्वारा अपने हको की घोषणा हेतु यह वाद पेश किया गया है एवं यदि वाद भूमि पैतृक है एवं उसमे से कोई व्यक्ति अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि हस्तान्तरित करता है तो ऐसे दस्तावेज शुन्य व अवैध है। प्रार्थी द्वारा अपने हकों की घोषणा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत पेश किया गया है एवं वाद भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजो की नाम दर्ज थी उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की अप्रार्थीगण के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म नही की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को होगी न की अप्रार्थीगण को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 500/516 के ख0न0 520/2 की कुल 5.3750 हैक्ट भूमि व खाता स0 103/104 के ख0न0 520/6 की कुल 0.3040 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि की न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि को रहन, बैय न करे एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/04/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.04.16 18:35:38 IST
Reason: SelfAttested